न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2204–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–5–12 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 244/2011–12.रीवा प्रकरण कमांक 07/अपील/06–07.

1– सुखदेव सिंह
2– भगवान सिंह
3– श्याम सिंह
पुत्रगण मस्सा सिंह
निवासीगण ग्राम खेडेला तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर
4– रामसिंह पुत्र मस्सा सिंह
निवासी ग्राम पारखेड़ा तह. ईसागढ़
जिला अशोकनगर
5– हरवंश सिंह पुत्र मस्सा सिंह
निवासी ग्राम पारखेड़ा तह. ईसागढ़
जिला अशोकनगर
6– कन्शो पुत्री मस्सा सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह
निवासी धरोईचक्क तह. अशोकनगर
जिला अशोकनगर
7– स्वर्णजीत कौर पुत्री मस्सा सिंह पत्नी जसवीर सिंह
निवासी माड़ा गणेशखेड़ा तह. कोलारस
जिला शिवपुरी

——— आवेदकगण

विरूद्ध

गुरूचरण सिंह पुत्र जस्सा सिंह
निवासी ग्राम खडेला तह. ईसागढ़ कोलारस
जिलाा शिवपुरी

——— अनावेदक

श्री एस.पी. धाकड़, अधिवक्ता, आवेदकगण ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13-10-2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 244/2011–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 18–5–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व

संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं प्रश्नाधीन भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदकगण हैं । अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 131 के तहत आवेदन पत्र पेश कर अनुरोध किया कि विवादित भूमि सर्वे कमांक 23/2 तथा 5/3 की मेड़ से जो पुराना रास्ता चला आ रहा हे, कागजात पटवारी नक्शा में रास्ता कायम नहीं है । अतः नक्शे में रास्ता कायम किया जाये । उक्त आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 31.5.11 द्वारा रास्ता कायम किए जाने के आदेश दिये । इस आदेश से व्यथित होकर आवेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 17–10–11 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस 'न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदकगण हैं । प्रश्नाधीन सर्वे नं. से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है । नायब तहसीलदार ने आवेदक को बिना सूचनापत्र जारी नहीं किए गए । तामीलों पर टीप मौके पर तामील कराकर नहीं लगाई गई । सारी कार्यवाही गुपचुप की गई है । उक्त स्थिति में आवेदकों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं था । विचारण न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया रास्ता 30 वर्ष पुराना होना साक्ष्य एवं प्रमाण से प्रमाणित नहीं है और ना ही विचारण न्यायालय को नवीन रास्ता कायम करने की अधिकारिता है । दोनों अपीलीय न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है ।

4– अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नक्शे में रास्ता कायम किए जाने के संबंध में है । प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं । अपर आयुक्त ने यह पाया है स्थानीय जांच के उपरांत और स्थल निरीक्षण के बाद यह पाया गया कि 12 फुट चौड़ा रास्ता है जो पटवारी द्वारा प्रस्तुत अक्श में रेखांकित किया गया है और साक्ष्य लेने के उपरांत रास्तो का आदेश दिया गया है । रास्ता 25–30 वर्ष पुराना होकर मुरम पड़ी होकर चालू है और पुराना रास्ता होने के आधार पर विचारण न्यायालय ने नक्शे में रास्ता कायम किये जाने का

आदेश दिये हैं । अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित है । प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि उक्त आदेश विपर्यस्त एवं विधि विरूद्ध हों ।

परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर